न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेड़ी

अनुवान पुरुषोतम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –583/2025

निर्णय दिनांक 19/12/25

पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरलाल. जाति ब्राह्मण निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेड़ी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 188 के खसरा नं. 278 तादादी 2.6428 है0 रोही ग्राम रेड़ी तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम और हिस्से की दोहरी प्रविष्टि पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही प्रविष्टि पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3 राहिन हिस्सा 1/6 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रैयाटुण्डा है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी की दोहरे इन्द्राज की बजाय नवीन इन्द्राज पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरलाल 1/3 हिस्सा जाति ब्राह्मण साकिन रेड़ी खातेदार राहिन 1/6 हिस्सा राजस्थान ग्रामीण बैंक रैयाटुण्डा किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः खाता संख्या 188 के खसरा नं. 278 तादादी 2.6428 है0 रोही ग्राम रेड़ी तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी की दोहरे इन्द्राज की बजाय नवीन इन्द्राज पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरलाल 1/3 हिस्सा जाति ब्राह्मण साकिन रेड़ी खातेदार राहिन 1/6 हिस्सा राजस्थान ग्रामीण बैंक रैयाटुण्डा अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेड़ी में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)